प्रश्न स. [क्र. 2677]

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2677
दिनांक 15.03.2022

परिशिष्ट–एक

अध्यापक शिक्षक संवर्ग विभिन्न लंबित मांगो के सबंध में –

स.क्र.	ज्ञापन मे की गई मांगे	की गई कार्यवाही
1.	मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) मे नियुक्त अध्यापक संवर्ग की सेवा अवधि (पदोन्नति/कमोन्नति ग्रेच्युटी सहित समस्त हित लाभ हेतु) की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य करने का स्पष्ट आदेश जारी करवाने का कष्ट करते हुए संदर्भित पत्र कमाक 3 को निरस्त करवाने का कष्ट करे अन्यथा की स्थिती में क्रमोन्नति पीडित 2006 व बाद के साथी शिक्षक मध्यप्रदेश को आन्दोलन हेतु बाध्य होना पड़ेगा।	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–14/2019/20–1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019 की कंडिका 3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवको की पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिया जाना प्रावधानित हैं।
2.	1 जुलाई 2018 को प्रथम नियुक्ति से 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अध्यापक/शैक्षणिक संवर्ग को कमोन्नति लाभ के आदेश जारी किये जाये।	इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन हैं।
3.	प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना लागु की जाए।	नवीन संवर्ग के लोकसेवको हेतु अंशदायी पेंशन योजना लागू हैं।
4.	कमोन्नति/पदोन्नति/वरिष्ठता हेतु सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य की जाए जिसके क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान के आदेश जारी हो सकें तथा ग्रेच्युटी, प्रतिनियुक्ति के पदो एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कार्यरत पद हेतु अनुभव की गणना एवं आपसी वरिष्ठता हेतु सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से मान्य हो सके । तथा भविष्य में अर्जित अवकाश के नगदी पेंशन परिवार पेंशन योजना का विधिवत लाभ प्राप्त हो सके। एरियर्स भले न दिया जाये पर सेवा अवधि में वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से प्रदान करने की कृपा करें।	(1) मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–14/2019/20–1 भोपाल, दिनांक 27.07.2019 की कंडिका 3 अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवको की पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु उनके द्वारा अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा को गणना में लिया जाना प्रावधानित हैं। (2)"मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम,2018" के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवको की वरिष्ठता इन नियमों के नियम–17 अनुसार निर्धारित करना प्रावधानित हैं।
5.	01जनवरी2016से देय छठवें वेतनमान विसंगतियों के निराकरण हेतु 31 दिसंबर 2015 के विद्मान वेतन से तत्स्थानी छठवें वेतन की गणना की जाए। जिससे वरिष्ठता अनुसार अर्थिक लाभ प्राप्त हों सकें। तथा शिक्षाकर्मी कार्यकाल ग्रीन कार्ड एवं 6 माह एवं उससे अधिक की विशष वेतन वृद्धियों का लाभ वेतन निर्धारण की गणना में प्राप्त हो सकें।	स्थानीय निकायो में कार्यरत अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.04.2013 से छटवे वेतनमान का आंशिक लाभ प्रदाय किया गया था, उक्त के तत्स्थानीय वेतन दिनांक 31.12.2015 के वेतन पर दिनांक 01.01.2016 को 28 फरवरी 2009 के अधीसूचना के क्रम में छटवा वेतनमान दिया जाना संभव नहीं होने से शासन द्वारा अध्यापक संवर्ग की वरिष्टता का लाभ देते हुये 01.01. 2016 से छटवे वेतनमान की सारणी में वरिष्ठता के वर्षो का लाभ देते हुये वेतन नियमन किया गया हैं।

6.	अध्यापक संवर्ग एवं नवीन संवर्ग में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए वरिष्ठ अध्यापक /उच्च माध्यमिक शिक्षक को प्रचार्य बनाया जाए।	सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति से संबंधित प्रकरण विचाराधीन होने से पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित हैं।
7.	1जुलाई 2020 को /1 जनवरी की वर्षिक वेतन वृध्दि के भुगतान के आदेश जारी किया जाएं केंद्र एवं अन्य राज्यों के समान मंहगाई भत्ता 28 प्रतिशत घोषित कर एरियर्स का भुगतान एक मुश्त किया जाए।	वर्षिक वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेषांश वित्त विभाग से संबंधित।
8.	राज्य शिक्षा सेवा में की गई नवीन नियुक्तियों को सेवाओ की निरंतरता मे शिक्षा विभाग मे सविलियन कर व्याख्याता उच्च श्रेणी शिक्षक एवं सहायक शिक्षक पदनाम दिया जाए।	भर्ती नियम 2018 अनुसार कार्यवाही की गई हैं।
9.	अव्यवहारिक न्यू पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को लागु की जाए।	नवीन संवर्ग के लोकसेवको हेतु अंशदायी पेंशन योजना लागू हैं।

उप संचालक
लोक शिक्षण म.प्र

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग